REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2024

सूचना प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास: हरियाणा के संदर्भ में एक अध्ययन

Ms. Meenakshi
Research Scholar, Department of Sociology,
Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana (India).

सार :

पिछले कुछ वर्षों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) ने लोकप्रियता हासिल की है। विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा समर्थित डेटा सेवाओं, ऑडियो, वीडियो के अभिसरण के लिए आईसीटी खातों ने अभिसरण नेटवर्कों ने टेलीफोन, टेलीविजन और कंप्यूटर नेटवर्क की सेवाओं को एक ही संचार नेटवर्क में विलय कर दिया है, जिसके लिए विभिन्न बुनियादी ढांचे और चैनलों की आवश्यकता होती है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिससे सरकार पर ग्रामीण भारत के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का दबाव पड़ता है। आईसीटी ग्रामीण आजीविका के लिए प्रमुख अवसर प्रदाता के रूप में कार्य करता है और गरीबी उन्मूलन में योगदान देता है। प्रस्तुत पेपर का उद्देश्य ग्रामीण विकास मंत्रालय और ई-गवर्नेंस योजनाओं की पहलों का समर्थन करते हुए ग्रामीण विकास के कई क्षेत्रों में आईसीटी के उपयोग और अपनाने को प्रदर्शित करना है। यह अध्ययन हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में आईसीटी को अपनाने में उपलब्धि और विफलताओं को भी सामने लाता है।

Keywords - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, ग्रामीण विकास।

परिचय

प्रत्येक विकासशील देश की प्रमुख चिंताओं में से एक हमेशा ग्रामीण विकास रहा है और भारत कोई अपवाद नहीं है। विश्व बैंक के डेटासेट के अनुसार, भारत की कुल आबादी का 70% ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने समाज के गरीब वर्गों के उत्थान और ग्रामीण और उप-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक मानकों को ऊपर उठाने के लिए कई पहल की हैं।

ग्रामीण आबादी को शिक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास, तकनीकी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य आपूर्ति, बिजली, पानी और स्वच्छता, वित्तीय सेवाओं और शासन के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए; ई-गवर्नेंस में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, कौशल विकास संस्थानों/कार्यशालाओं में लोगों की बढ़ती जागरूकता और भागीदारी,

बेहतर कृषि भूमि सुधार, आईसीटी बुनियादी ढांचे की तैनाती, योजना का विकेंद्रीकरण और ऋण तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता है। इस प्रकार, हरियाणा राज्य को आईसीटी प्रवेश के रुझान और ग्रामीण विकास के लिए इसके उपयोग का विश्लेषण करने के लिए एक व्यवहार्य विकल्प माना जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आईसीटी के सफल कार्यान्वयन के लिए अब तक सामना की गई बाधाओं और अंततः इससे होने वाले लाभों को भी दर्शाता है। 42% (2011 की जनगणना के अनुसार)।

प्रस्तुत पेपर के तीन मुख्य बिन्दु है: एक तरफ यह ग्रामीण विकास योजनाओं और भारत सरकार और इसकी ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा की गई प्रमुख पहलों को उजागर करने का प्रयास करता है। दूसरा, यह ग्रामीण विकास को समर्थन देने के लिए सशक्त उपकरण के रूप में आईसीटी और इसके अनुप्रयोगों की भूमिका प्रस्तुत करता है। तीसरा, यह विश्लेषण करता है कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में आईसीटी को किस हद तक अपनाया और उपयोग किया गया है और आईसीटी की अधिकतम क्षमता का लाभ उठाने के लिए अब तक सामने आई कठिनाइयों पर भी प्रकाश डाला गया है।

भारत में ग्रामीण विकास एजेंसियां और ग्रामीण विकास योजनाएं

यह खंड राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न शीर्ष निकायों की भूमिका की स्पष्ट समझ प्रदान करता है। यह ग्रामीण लोगों के सामाजिक-आर्थिक मानकों को बढ़ाकर शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों, योजनाओं और अन्य पहलों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।

उपर्युक्त एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

(i) योजना आयोग का ग्रामीण विकास विभाग: ग्रामीण विकास विभाग का कार्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में नीति मार्गदर्शन प्रदान करना और ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और अन्य एजेंसियो के साथ सहयोग स्थापित करना है।

(ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय: भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिका व्यवसाय-कृषि, हस्तशिल्प और अन्य सूक्ष्म उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहित ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति से संबंधित नीतियों, विनियमों और कृत्यों का निर्माण करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दो विभाग हैं:

(1) ग्रामीण विकास विभाग: यह विभाग प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं, मानव संसाधन विकास के प्रावधान में सहायता करता है, और डीआरडीए को कार्यात्मक सहायता प्रदान करता है और ग्रामीण आबादी को आवास सुविधा और मजदूरी सहित परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

(2) भूमि संसाधन विभाग: इस विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास कार्यक्रम), डिजिटल भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी विकास और प्रशिक्षण को लागू करना है।

(iii) पंचायती राज मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय दिशा निर्देश विकसित करना, ई-पंचायतों के माध्यम से पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई) की जवाबदेही को सुविधाजनक बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय और अन्य सेवाओं की पहुंच और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

(iv) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की स्थापना का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक घर, सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच हो और पीआरआई को अपने स्वयं के पेयजल संसाधनों और स्वच्छता सुविधाओं की सुरक्षा के लिए समर्थन मिले।

(v) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड): नाबार्ड एक शीर्ष निकाय है जिसकी स्थापना 1982 में कृषि ऋण विभाग (एसीडी) और ग्रामीण योजना और क्रेडिट सेल (आरपीसीसी) और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी) के स्थान पर की गई थी। नाबार्ड का प्राथमिक ध्यान ग्रामीण क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा दिए गए ऋण के लिए पुन: वित्तपोषण संगठन के रूप में कार्य करना है।

(vi) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां (डीआरडीए): डीआरडीए की मूल भूमिका विभिन्न राज्यों में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करना है। वे प्रायोजित योजना के तहत ग्रामीण विकास निधि को संभालने और स्थानांतरित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं के उद्देश्य

यह खंड ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का अवलोकन प्रदान करता है:

1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) - पीएमजीएसवाई हिल स्टेशनों, मैदानी क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों के साथ-साथ आदिवासी स्थानों सहित देश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित सड़क संपर्क स्थापित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित और पूर्ण वित्त पोषित योजना है।

2) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- एसजीएसवाई केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जो गरीब लोगों के समूहों (स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित) को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के साथ सहायता करके ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। यह योजना जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) द्वारा अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों जैसे पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई), बैंकों और गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के साथ कार्यान्वित की जा रही है।

3) इंदिरा आवास योजना (ग्रामीण आवास योजना) - IAY 1996 से कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण या उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आवास इकाइयों का निर्माण मैदानी क्षेत्रों में 35,000 रुपये प्रति इकाई और कठिन इलाकों (पहाड़ियों) के लिए 38,500 रुपये प्रति इकाई है। हालाँकि, किसी भी आवास इकाई के उन्नयन के लिए अधिकतम 15000 रुपये दिए जाते हैं।

4) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) - योजना का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन मजदूरों, सहायक किसानों और रोजगार चाहने वाले समाज के गरीब वर्गों को 100 दिनों का सुनिश्चित काम प्रदान करना है। योजना का द्वितीयक उद्देश्य भूमि उत्पादकता को बढ़ावा देना है और इसलिए कृषि कार्य से रोजगार उत्पन्न करना है।

5) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) - योजना के तत्वावधान में, केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरक बनाती है। यह योजना गरीब परिवारों को मातृत्व, वृद्धावस्था और प्राथमिक मृत्यु के मामले में सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का उद्देश्य वृद्धावस्था की स्थिति में गरीब परिवारों को व प्राथमिक वेतनभोगी की मृत्यु पर
सामाजिक सहायता का लाभ प्रदान करना है।

6) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) - IWMP योजना तीन मौजूदा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों अर्थात् एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम को एकीकृत करके शुरू की गई है। इस समेकित कार्यक्रम का उद्देश्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना और स्थायी परिणाम उत्पन्न करना है।

7) राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) - भूमि संसाधन विभाग द्वारा एनएलआरएमपी का नाम बदलकर डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीएलआरएमपी) कर दिया गया है। इसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने और जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) मैपिंग और जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) का उपयोग करके नियामक, विकासात्मक और आपदा प्रबंधन गतिविधियों को लागू करने के लिए भूमि संसाधनों के रिकॉर्ड का डिजिटल (कम्प्यूटरीकृत) डेटाबेस बनाना और बनाए रखना है। जानकारी।

8) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - दीन दयाल अंत्योदय योजना (एनआरएलएम) "आजीविका" [9] जून 2011 में ग्रामीण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से सहायता प्राप्त योजना, "आजीविका" का उद्देश्य एक अच्छी तरह से स्थापित करना है -संगठित और मूल्यवान संस्थागत नीति ग्रामीण भारत के गरीब वर्गों को स्थायी आजीविका वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच के माध्यम से पारिवारिक आय बढ़ाने में सक्षम बनाती है।

9) ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए योजनाएं- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) के साथ-साथ विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए योजनाएं शुरू कीं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं या सेमिनार (ओटीसी) आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है।

10) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (PURA) - यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक कद को बढ़ाने के लिए भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और ज्ञान कनेक्टिविटी सहित शहरी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

11) दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) - इस योजना की जड़ें "आजीविका" कार्यक्रम में हैं और इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और बेहतर वेतन और व्यवसाय के अवसरों के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए क्षमता निर्माण में योगदान करना है। यह योजना राज्य सरकारों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) जैसी तकनीकी सहायता एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से कार्यान्वित की जाती है। अन्य प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, ई-शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने और बड़ी आबादी को पूरा करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है।

आईसीटी और ग्रामीण विकास

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने व्यक्तिगत स्तर, सामुदायिक स्तर, संगठन स्तर, व्यवसाय स्तर और प्रशासन स्तर पर दिन-प्रतिदिन के कई कार्यों के लिए सूचना को समझने, उत्पन्न करने, संग्रहीत करने, पुनर्प्राप्त करने, संसाधित करने और प्रसारित करने के तरीके में पूरी तरह से क्रांति ला दी है। . वास्तव में, यह शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है जहां इंटरनेट, मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीडीए, कियोस्क जैसे आईसीटी बुनियादी ढांचे और डिजिटल मीडिया, ई-कॉमर्स वेबसाइट, ई-गवर्नेंस पोर्टल, सोशल नेटवर्किंग, मीडिया और ऑनलाइन जैसी सेवाएं हैं। ज्ञान संसाधनों (ई-लर्निंग) ने सूचना प्रसार, सामाजिक संपर्क, प्रशासनिक कार्य, आर्थिक और व्यावसायिक प्रथाओं, नागरिक जिम्मेदारियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवकाश, मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्रों में आशाजनक विकास किया है। समान आधार पर, आईसीटी नई प्रक्रियाओं, सेवाओं, अनुप्रयोगों और आईसीटी बुनियादी ढांचे की तैनाती को शुरू करके विभिन्न क्षेत्रों

में ग्रामीण क्षेत्रों के महत्वपूर्ण और टिकाऊ विकास में योगदान दे सकता है: ग्रामीण विकास क्षेत्रों में आईसीटी के विभिन्न अनुप्रयोग नीचे सूचीबद्ध हैं:

कृषि क्षेत्र के लिए आईसीटी

हरियाणा सहित भारत की अधिकांश ग्रामीण आबादी के लिए कृषि आय और आजीविका का मुख्य स्रोत है। भूमि उत्पादकता बढ़ने से सीमांत किसानों और श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। साथ ही इससे क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होता है। हालाँकि, कृषि क्षेत्र में मिट्टी के कटाव, भूमिगत जल स्तर में कमी, असामयिक वर्षा और अन्य जलवायु संबंधीकारणों से अनिश्चितताएँ शामिल हैं। आईसीटी किसानों की कई तरह से मदद कर सकता है-

वास्तविक समय संचार (मोबाइल फोन का उपयोग करके) - सिंचाई, बीज की गुणवत्ता, जलवायु, कीट नियंत्रण और फसल देखभाल के संबंधमें कृषकों से प्रश्न और संदेह उत्पन्न करना। खेती में जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं, किसानों को खराब मिट्टी, सूखा, कटाव और कीटों से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। आईसीटी किसानों को फसल की देखभाल और पशुपालन, उर्वरक, कीट नियंत्रण, बीज सोर्सिंग और बाजार कीमतों जैसी कृषि के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकते हैं, उदाहरण के लिए : इफको किसान संचार लिमिटेड।

- कृषि हितों से संबंधित विषयों पर ई-सेमिनार (प्रस्तुतियां या रिकॉर्ड किए गए वीडियो) तक पहुंच बनाई जा सकती है (इंटरनेट का उपयोग करके)।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसानों को सीधे उपभोक्ताओं और व्यापारियों से जोड़ सकते हैं और उन्हें फसलों के लिए बेहतर बाजार मूल्य दिला सकते है।
- रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) जैसी उपग्रह प्रौद्योगिकियों का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता की स्थानिक और अस्थायी परिवर्तनशीलता का पता लगाने और उपज की भविष्यवाणी और मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जा सकता है।

ऋण और बैंकिंग सुविधाओं के लिए आईसीटी: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित विभिन्न योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वित्तीय सहायता, ऋण, बैंक ऋण और सब्सिडी प्रदान करती हैं। आईसीटी ने इन सेवाओं को पहले से अधिक आसान बना दिया है।

- मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग ने उपयोगकर्ताओं और लाभार्थियों के लिए लेन-देन और मनी क्रेडिट को आसान और सुविधाजनक बना दिया है।
- बैंक प्रतिनिधि टैबलेट लेकर ग्रामीण परिवारों तक पहुंच कर तस्वीरें ले सकते हैं और बैंक खाते खोलने के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों को स्कैन कर सकते हैं।
- ऋण स्वीकृति, ऋण राशि, भुगतान किश्तें और अवधि के बारे में जानकारी एसएमएस या फोन कॉल के माध्यम से दी जा सकती है।
- पेंशन और अन्य क्रेडिट जानकारी उपयोगकर्ता के मोबाइल फोन पर दी जा सकती है।

क्षमता निर्माण के लिए आईसीटी: क्षमता निर्माण एक अन्य क्षेत्र है जहां ग्रामीण लोगों द्वारा आईसीटी का लाभ उठाया जा सकता है-

- आईसीटी कानून बनाने, भूमि सुधार और भूमि स्वामित्व को अधिक सुलभ बनाने में मदद करता है

- आईसीटी का उपयोग इनपुट और आउटपुट कीमतों, संसाधन अधिकारों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और भूमि दावों पर बातचीत करते समय ग्रामीण किसानों और कारीगरों की क्षमताओं को मजबूत कर सकता है।
- आईसीटी अन्य हितधारकों के साथ बातचीत को बढ़ावा देकर ग्रामीण समुदायों के सामाजिक अलगाव को कम करता है।

ग्रामीण प्रशासन के लिए आईसीटी:

गांवों में नागरिकों तक राज्य और जिला प्रशासन सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक पहुंच की सुविधा के लिए ई-गवर्नेंस पहल स्वान (स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) की तरह, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे सरकार और प्रशासनिक निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में आईसीटी का लाभ उठा सकते हैं।

प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए-

- ग्रामीण लोगों के लिए नियामक जानकारी, सार्वजनिक अधिसूचना और आगामी सरकारी योजनाओं का त्वरित और आसान प्रसार।
- ऑनलाइन पोर्टल पर डिजिटल जानकारी की उपलब्धता से ग्रामीण जनता के लिए प्रशासनिक प्रयासों की पारदर्शिता और दृश्यता।
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण जनता से फीडबैक, पूछताछ और शिकायतों का बेहतर चैनलाइज्ड तंत्र।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक कर्मचारियों के साथ एक नोडल कार्यालय के माध्यम से आयकर, बिजली बिल और सेवा कर ऑनलाइन जमा करना।
- जीआईएस, जीपीएस आधारित स्थान की जानकारी और आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके आपदा प्रबंधन अभ्यास और गतिविधियां।

निष्कर्ष:

आईसीटी उपकरणों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, शिक्षा, स्वरोजगार, कौशल विकास, चिकित्सा सुविधाओं और उद्यमशीलता उद्यमों सहित विकास के विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत करने में मदद करता है। हरियाणा जैसे राज्य ने विकास के नए साधनों और बेहतर सामाजिक - आर्थिक मानकों को अपनाने के लिए पिछले वर्षों में जबरदस्त वृद्धि दिखाई है। हरियाणा में ग्रामीण आबादी के लिए आने वाले वर्षों में आईसीटी बढ़ती रुचि का विषय बना रहेगा। हालाँकि, ग्रामीण विकास योजनाओं और पहलों में ग्रामीण लोगों का अधिक प्रदर्शन और भागीदारी अभी भी वांछित है।

संदर्भ:

1. http: //data.worldbank.org/ indicator / SP.RUR.TOTL.(Accessed : January 28,2016)
2. State wise Per Capita Income and Gross Domestic Product at current Price. Available: http://pib.nic.in/archieve/others/2014/aug/d.201407801)
3. “India stop 25 state with highest GDP”, press article,rediff.com,feb.2012
4. http://publicadministrationtheoneblogspot.in/2012/09/rural-development-institute-and html, Sept. 2012

5. Annual Report, 2014-15, Ministry of Rural Development, Government of India.
6. Digital land Record Modernization programme, Available:
http://dolr.nic.in/dolr/major_schemes.asp/ Accessed: January 27, 2016.
7. http://www.panchyat.gov.in/ Accessed: January 28, 2016.
8. Abhay Kumar & KM Singh, "Role of ICT in Rural Development with Reference to changing Climate Conditions" Narendra Publishing house, pp. 83-88, 2012.
9. Akilolu Agboola, "Information and Communication Technology (ICT) in Banking Operation in Nigeria-An Evaluation of Recent Experience", pp. 1-21.